न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

प्रा0पत्र कृष्णलाल पुत्र भादरराम जाति कुम्हार निवासी संगीता तह.सूरतगढ़ जरिये पुत्र विजय कुमार बाबत् जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम दुरस्त करने

GCMS:-2026/175

किस्म मुकदमा:–दुरस्ती प्रार्थना पत्र | प्रकरण संख्या:– 58 / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 06.04.2026	

दिनांक 06.04.2026

आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 1 केएसएम तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 17 नया 63 पुराना के पत्थर नं. 12/30 (113) के किला नं. 15 ता 17, 21/1 ता 25 की 1.265 हैक्टर कमाण्ड, 0.228 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 12/31 (122) के किला नं. 4 ता 7 की 0.506 हैक्टर कमाण्ड, 0.506 हैक्टर अ0क0, पत्थर नं. 12/38 (114) के किला नं. 11,20,21 की 0.759 हैक्टर अ0क0 में से 1/4 हिस्सा खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम बहादुर सिंह गलती से दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम भादरराम है। प्रार्थी के पिता के नाम की चक 4 एसडी के खाता संख्या 33/31 एवं चक 3 एसडी तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 59/45 की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम दुरस्त किया जाकर बहादुर सिंह के स्थान पर भादरराम राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जावे।

तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पत्रांक एलआर/6785 दिनांक 25.03.2026 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जमाबंदी में बहादुर सिंह की जगह भादरराम किया जाना उचित है। कोई स्थगन/विवाद नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार सूरतगढ़ की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसील सूरतगढ़ के चक 1 के0एस0एम0 की जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 2073 के खाता संख्या 17/63 में काश्तकार संख्या 2 का नाम कृष्णलाल पुत्र बहा[illegible] के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र भादरराम किये जाने का आ[illegible] है। [illegible] जमाबंदी में दुरस्त किया जावे। उक्त खाता के [illegible] प्रणाली नंबर से होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

2009
6.4.26

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Prakash Meena
Date: 2026.04.08 18:18:24 IST
Reason: SelfAttested